तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज दिदारखां बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 145/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिदार खां पुत्र चांद खांजी मु0 पो0 झंवर त0 लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.08.2017 में उसके द्वारा (1) ग्राम सेवा सहकारी समिति झंवर के वर्तमान अध्यक्ष व सदस्यों का विवरण व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचित नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1332 दिनांक 20.09.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर ग्राम सेवा सहकारी समिति झंवर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 6(3) के तहत सचिव, ग्राम सेवा सहकारी समिति झंवर (जोधपुर) को कार्यालय के पत्रांक 1161 दिनांक 29.08.17 को अंतरित करते हुए प्रार्थी को भी सूचनार्थ प्रति पृष्ठांकित की गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) द्वारा प्रार्थना–पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी को विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा लोक सूचना अधिकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति झंवर का अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर नहीं होने से यह अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	